कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन बीजापुर
जिला– बीजापुर (छ0ग0)
//निविदा सूचना//

क्रमांक/ 61 /जि.नि./निविदा/स्था./2020 बीजापुर दिनांक 07.07.2020

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020–21 हेतु इस बीजापुर जिले के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर की फोटोयुक्त मतदाता सूची के मुद्रण कार्य एवं बीएलओ वर्किंग कॉपी मुद्रण का कार्य नीचे दिये गये शर्तो के अधीन इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 21 जुलाई 2020 सोमवार को दोपहर 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। फर्मों से प्राप्त निविदा समिति के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2020 को सांय 3:00 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

<u>निविदा की शर्तें</u> :–

1. निविदा के तहत् निविदाकार को अपने निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 20,000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया, बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर के नाम देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। असफल निविदाकारों के अमानत राशि तत्काल वापसी योग्य होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि की वापसी सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जावेगा।
2. फोटोयुक्त मतदाता सूची पेपरशीट के दोनों तरफ प्रिंट होगा तथा बीएलओ वर्किंग कॉपी पेपरशीट के (एक ओर/दोनो ओर) प्रिंट होगा। इसके अनुसार प्रति पृष्ठ (दोनों ओर/एक ओर) हेतु प्रिंटिंग दर समस्त प्रकार के टैक्स सहित अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
3. फोटोयुक्त मतदाता सूची (फोटोरोल) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप, साईज अनुसार लेजर प्रिंटर से कागज ए–4, 80 जीएसएम कर डिजिटल प्रिंट की जायेगी–फोटो कॉपी नहीं।
4. निविदाकारों को निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म की वैद्यानिकता, क्षमता एवं तकनीकी अनुभव, उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर्स, आपरेटर्स तथा कार्य क्षमता पचास हजार प्रतिदिन लेजर प्रिंटर्स से डिजिटल प्रिंटर्स का कार्य क्षमता आदि के बारे में विवरण पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को पांच लाख पेज का कम्प्यूटर लेजर प्रिंटिंग का कार्य अनुभव तथा मतदाता सूची से संबंधित पूर्व के कार्य अनुभव जो किया गया हो, के बारे में कार्य विवरण पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकार को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाकार को पेन नम्बर, टीन नम्बर, जीएसटी नम्बर की प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
8. चयनित फर्म का पी0डी0एफ0 डाउनलोट कर मतदाता सूची मुद्रण का कार्य नियत समयावधि में करना होगा।

9. फोटोयुक्त मतदाता सूची/बीएलओ वर्किंग कॉपी सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रवार (भागवार) तैयार की जावेगी।

10. प्रत्येक मतदान केन्द्रों को फोटोयुक्त मतदाता सूची के द्वितीय पृष्ठ उस भाग का नजरी नक्शा भी प्रिंट होगा। डिजिटल मैप की डाटा सी.डी. जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर से प्रदाय की जावेगी।

11. चयनित फर्म के द्वारा मतदाता सूची/वर्किंग कॉपी का मुद्रण कार्य निर्धारित समय में नहीं करने पर रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकता है।

12. मतदाता सूची के पी.डी.एफ. की छपाई में त्रुटि होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।

13. उपरोक्त निविदा के संबंध में किसी भी वाद–विवाद पर अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर को होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–बीजापुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/61A/जि.नि./निविदा/स्था./2020 बीजापुर दिनांक 07.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, एवं रोल आब्जर्वर, बस्तर संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ... छ0ग0 को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय बीजापुर को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र बीजापुर एन.आई.सी. बीजापुर को जिले के वेबसाईट में अपलोड हेतु सूचनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बीजापुर/भैरमगढ़/भोपालपटनम/उसूर (आ0) को अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. सूचना पटल में चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–बीजापुर (छ0ग0)